प्रेस नोट दि0-16.08.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई – थाना हथिगवां पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा।
लूट में शामिल 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।
लूट का वीवो मोबाइल फोन बरामद।
घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल की बरामदगी।
अभियुक्तों ने ट्रक चालक से मोबाइल व नकदी लूटने की घटना को किया कबूल।
पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों पर लगातार कड़ा एक्शन।
अभियुक्तों को लालगोपालगंज बेचने ले जाते समय मुखबिर की सूचना पर दबोचा गया।

घटना का विवरण-

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत शंकर ढाबा के पास, बहद ग्राम जहानाबाद के पास से दिनांक- 03.06.2025 को 03 अज्ञात व्यक्ति स्पेलेण्डर मोटर साइकिल से लूट करने के प्रकरण में थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 96/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी । इसी क्रम में दिनांक 16.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह उ0नि0 प्रिन्स तिवारी व उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा व का0 विपिन सारस्वत द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां के मु0अ0सं0 96/2025 धारा 304(2) बीएनएस0 से संबंधित अभियुक्तों 1.राहुल सरोज पुत्र राममूरत सरोज उम्र करीब 21 वर्ष 2. करन सरोज उर्फ सुरजीत सरोज पुत्र पप्पू उम्र करीब 19 वर्ष 3. शिवा सरोज पुत्र श्रीगणेश सरोज उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम भदशिव थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ के पास से अभियोग से सम्बन्धित लूट का वीवो मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त स्पेलेण्डर प्लस मोटर साइकिल बरामद किया गया व अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 351(3), 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार तीनो व्यक्तियों ने बताया कि इस नीले काले रंग की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रजि० नम्बर यूपी 72 सीबी 7449 से लक्ष्मणपुर चैराहे की तरफ इस सर्विस रोड से जा रहे थे कि देखा कि यहां हाइवे पर एक ट्रक खड़ी थी। जिसका ड्राइवर ट्रक का पहिया खोल रहा था कि हम तीनों लोग अपनी मोटरसाइकिल सर्विस रोड पर खड़ी कर हाइवे पर चढ़कर ट्रक ड्राइवर से उसकी वीवो की मोबाइल फोन और मोबाइल के कवर में रखे दो हजार रुपया जबरी हम लोग छीनकर और ट्रक ड्राइवर को जान से मारने की धमकी देते हुये अपनी मोटरसाइकिल से भदशिव अंडरपास से होते हुये जहानाबाद कछार की तरफ भाग गये थे। करन सरोज उर्फ सूरजीत के पास मोबाइल नही था इसलिये कुछ दिन बाद लूट की मोबाइल करन सरोज उर्फ सुरजीत सरोज को दे दिया था और जो लूट का दो

हजार रुपया था उसको हम लोग आपस में बांट लिये थे। जिसको आज डर के कारण हम लोग लालगोपाल गंज बेचने जा रहे थे कि आप लोगो ने हम लोगों को पकड़ लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1.राहुल सरोज पुत्र राममूरत सरोज उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम भदशिव थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

2.करन सरोज उर्फ सुरजीत सरोज पुत्र पप्पू उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम भदशिव थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

3. शिवा सरोज पुत्र श्रीगणेश सरोज उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम भदशिव थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

01 मोबाइल फोन वीवो (लूट की),

01 मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर प्लस रंग नीला काला रजि0 नं. यूपी 72 सीबी 7449 (लूट की घटना में प्रयोग की हुयी)।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह उ0नि0 प्रिन्स तिवारी व उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा व का0 विपिन सारस्वत थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

<u>थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ</u>

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई – 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार
पिस्टल, कारतूस, मोबाइल व 05 जिन्दा देशी बम बरामद
थाना अन्तू पुलिस की चेकिंग के दौरान अपाचे सवार बदमाश दबोचे गए
मुख्य आरोपी शुभम दुबे पर हत्या का प्रयास, लूट, गैंगस्टर व अन्य धाराओं में 13 मुकदमे दर्ज
आरोपी बम व पिस्टल के दम पर राहगीरों से वसूली व लूट की फिराक में थे
एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 शुभनाथ साहनी, उ0नि० पारसनाथ, आरक्षी दीपक कुमार व आरक्षी पवन कुमार मौर्या द्वारा स्वतन्त्रता दिवस के दृष्टिगत व जन्माष्टमी के पर्व की पूर्व संध्या पर सुरक्षात्माक दृष्टिकोण से शान्ति व्यवस्था के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 15.08.2025 को रात्रि में थाना क्षेत्र अन्तू के ग्राम किठावर अमेठी रोड के पास से अपाचे मोटर साइकिल सवार 02 अभियुक्तों 1.शुभम दुबे उर्फ विवेक दुबे उर्फ रितेष उर्फ अविनाश पुत्र अशोक दुबे उर्फ लल्ला दुबे निवासी ग्राम शिवपुर खजुरनी

रामपुर गौरी गोसाई का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष 2. प्रेम दुबे पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद दुबे निवासी ग्राम बड़ी पिपरी बरेंद थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष के पास से एक अदद पिस्टल नाजायज 7.65 एमएम बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम नाजायज व बरामदगी 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज व एक अदद मोबाइल सैमसंग जे 7 बरामद किया गया।

अभियुक्तों के पास से एक पिस्टल नाजायज 7.65 एमएम बोर व 03 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम नाजायज व एक अदद मोबाइल सैमसंग जे7 व 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना अन्तू में मु0अ0सं0 275/25 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट व धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

01. शुभम दुबे उर्फ विवेक दुबे उर्फ रितेष उर्फ अविनाश पुत्र अशोक दुबे उर्फ लल्ला दुबे निवासी ग्राम शिवपुर खजुरनी रामपुर गौरी गोसाई का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

2. प्रेम दुबे पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद दुबे निवासी ग्राम बड़ी पिपरी बरेंद थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

01 पिस्टल नाजायज 7.65 एमएम बोर

03 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम नाजायज

01 मोबाइल सैमसंग जे 7

05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

पूछताछ का विवरण- पकड़े गये दोनो अभियुक्तो से नाजायज बम व नाजायज पिस्टल मय कारतूस रखने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग बम और पिस्टल का डर दिखाकर राहगीरो से अवैध वसूली व लूट छिनैती की घटनाये करते है एवं अपने शौक पूरा करते है। आज भी हम लोग इसी फिराक में थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। पकड़े गये अभियुक्त शुभम दुबे उर्फ विवेक दुबे उर्फ रितेष उर्फ अविनाश उपरोक्त का कृत्य अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का दण्डनीय अपराध एवं अभियुक्त प्रेम दुबे उपरोक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है

आपराधिक इतिहास शुभम दुबे उर्फ विवेक दुबे उर्फ रितेष उर्फ अविनाश पुत्र अशोक दुबे उर्फ लल्ला दुबे निवासी ग्राम शिवपुर खजुरनी रामपुर गौरी गोसाई का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

01. मु0अ0सं0 71/2020, धारा 379, 411 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 74/2020, धारा 41, 411, 413 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।

03. मु0अ0सं0 920/2020, धारा 392 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।

04. मु0अ0सं0 128/2021, धारा 457, 380, 411 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।

05. मु0अ0सं0 508/2021, धारा 394, 411 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।
06. मु0अ0सं0 637/2021, धारा 379, 411, 465, 471 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।
07. मु0अ0सं0 211/2022, धारा 34, 392 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।
08. मु0अ0सं0 266/2023, धारा 323, 325, 307, 504, 34 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।
09. मु0अ0सं0 331/2023, धारा 392 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।
10. मु0अ0सं0 156/2024, धारा 34, 452, 427, 307, 504, 506, 286 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।
11. मु0अ0सं0 18/2024, धारा 392, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ।
12. मु0अ0सं0 518/2024, धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ।
13. मु0अ0सं0 275/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 शुभनाथ साहनी, उ0नि० पारसनाथ, आरक्षी दीपक कुमार व आरक्षी पवन कुमार मौर्या थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

साइबर थाना प्रतापगढ-

कुल 06 शिकायतों में ₹ 1,94,068/- की धनराशि साइबर सेल प्रतापगढ़ द्वारा पीड़ितों को वापस कराई गई ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन व नोडल अधिकारी साइबर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एनसीआरपी पोर्टल एवं पीड़ितों द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच के अनुक्रम में साइबर सेल जनपद प्रतापगढ़ टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये शिकायतकर्ताओं की धोखाधड़ी से आहरित धनराशि उनके खाते में पुनः वापस कराई गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा जनपदीय उच्चाधिकारियों व साइबर सेल प्रतापगढ़ टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पीड़ितों के खाते में वापस कराये गये धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-
कुल शिकायतें: 06
कुल वापस कराई गई राशि: ₹ 1,94,068/-
ठगी के तरीके: Flipkart वॉलेट, यूपीआई, डेबिट कार्ड, फ्रॉड कॉल व अन्य तरीकों से ठगी।
जनसामान्य के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की अपील:
1. ईमेल या मैसेज में आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि ये फ़िशिंग साइट्स हो सकती हैं।

2. अपने सभी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को समय-समय पर अपडेट करते रहें ताकि नए सुरक्षा पैच इंस्टॉल हो जाएं।

3. ऑनलाइन पेमेंट करते समय हमेशा सिक्योर पेमेंट गेटवे (https\:// और चिन्ह) का इस्तेमाल करें।

4. USB या एक्सटर्नल डिवाइस का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और पहले उन्हें स्कैन कर लें।

5. सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी (जैसे मोबाइल नंबर, पता, बैंक डिटेल्स) साझा करने से बचें।

6. अपने ईमेल और क्लाउड अकाउंट्स का बैकअप और रिकवरी ऑप्शन हमेशा अपडेट रखें।

7. पब्लिक कंप्यूटर (जैसे साइबर कैफे) में लॉगिन करने से बचें, और अगर जरूरी हो तो बाद में तुरंत लॉगआउट और पासवर्ड बदलें।

8. डार्क वेब या अवैध वेबसाइट्स का उपयोग करने से बचें, ये अक्सर हैकर्स के लिए डेटा चोरी का जरिया होती हैं।

9. संदिग्ध कॉल/मैसेज में अगर कोई खुद को बैंक/सरकारी अधिकारी बताकर जानकारी मांगे, तो सत्यापित किए बिना जानकारी न दें।

10. इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या वेबसाइट http://www.cybercrime.gov.in पर कॉल करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।

साइबर अपराध से सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।
"सोच-समझकर किया गया हर क्लिक, आपकी डिजिटल सुरक्षा की गारंटी है।"

जनपदीय साइबर सेल टीम , प्रतापगढ़ –
- उ०नि० विंध्यवासिनी तिवारी प्रभारी साइबर सेल।
- ASI बिपिन बिहारी वर्मा साइबर सेल।
- मु0आ0 अखिलेश उपाध्याय साइबर सेल।
- का0 दिग्विजय सिंह साइबर सेल।
- का0 सौरव सिंह साइबर सेल।
- म0का0 ललिता तोमर साइबर सेल।

20 पौवा शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोहड़ौर)-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह हे0कां लालबाबू शुक्ला व का0 अवनीश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र कोहड़ौर के धरौली मधुपुर से एक व्यक्ति मोटर साइकिल सवार कृष्णा यादव पुत्र माता साद यादव निवासी ग्राम- ब्राहीमपुर (भैसौनी) थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष के पास से 20 अदद टेट्रा पैक लेमन ब्लू बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोहड़ौर में मु0अ0सं0 128/25 धारा धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। मोटर साइकिल स्पेलेण्डर नम्बर यूपी 72 बीएक्स 6792 को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
कृष्णा यादव पुत्र माता प्रसाद यादव निवासी ग्राम- ब्राहीमपुर (भैसौनी) थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी-
20 अदद टेट्रा पैक लेमन ब्लू।

पुलिस टीम- उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह हे0कां लालबाबू शुक्ला व का0 अवनीश कुमार थाना कोहड़ौर।